

**जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु
दिनांक-06.10.2023 को जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र की अध्यक्षता में आहूत बैठक की
कार्यवृत्ति**

जनपदवासियों को समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 12 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनायें अपने जीवनकाल तक समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही हो के दृष्टिगत गठित जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 06.10.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. श्री सौरभ गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
3. श्री आशुतोष कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
4. श्री नीरज गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०ख०, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लि०, सोनभद्र।
5. श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
6. श्री गौरव प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि/यों), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
7. श्री सुजीत गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी।
8. श्री ए०के० चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रौबर्ट्सगंज।
9. श्री अरुण सिंह, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
10. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
11. श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
12. श्री राणा प्रताप सिंह, डी०पी०एम० टी०पी०आई० (मेंधज), सोनभद्र।
13. श्री रजनीश गोयल, डिस्ट्रिक्ट हेड, पी०एम०सी०, सोनभद्र।
14. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
15. प्रतिनिधि, समस्त आई०एस०ए०, सोनभद्र।

A- योजनाओं के भौतिक प्रगति एवं संचालन की समीक्षा-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के भूगर्भ जल में आयरन, फ्लोराइड इत्यादि अशुद्धिया होने के कारण सर्फेस सॉस पर आधारित 12 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। योजनाओं की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

1. बेलाही ग्राम समूह पेयजल योजना:- योजना का कार्य में० वी०पी०आर०पी०एल० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. योजनान्तर्गत आटोमेशन (पी०एल०सी० एवं स्काडा) को छोड़कर समस्त इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिकल कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
3. योजना से आच्छादित 210 ग्रामों के सापेक्ष 141 ग्रामों में टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमे से 70 ग्रामों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है एवं 23 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. प्रस्तावित 19274 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 17333 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 81 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश -

1. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यस्थल के कैम्पस डेवलपमेंट एवं इंटर्नल रोड का कार्य तीव्र गति से पूर्ण कराया जाये।
2. योजना के आटोमेशन हेतु इंटरनेट की उपलब्धता के सम्बन्ध में मिशन कार्यालय से आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र प्राप्त करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाये।
3. योजना से आच्छादित समस्त 210 ग्रामों में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाये।
4. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैण्ड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित 19274 नग गृह संयोजन के सापेक्ष शत प्रतिशत घरों में गृह संयोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।
6. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

2. नगवां ग्राम समूह पेयजल योजना:-योजना का कार्य में0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है।
2. योजना से आच्छादित 45 ग्रामों के सापेक्ष 42 ग्रामों में टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 32 ग्रामों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है।
3. प्रस्तावित 7454 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 7446 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 56.88 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश-

1. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 45 ग्रामों में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैण्ड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

3. तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजना:-योजना का कार्य में0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है।
2. योजना से आच्छादित 79 ग्रामों के सापेक्ष 78 ग्रामों में टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 38 ग्रामों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है।
3. प्रस्तावित 13605 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 12176 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 56.88 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश-

1. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 79 ग्रामों में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था / पी0एम0सी0 / अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

4. **हराँ ग्राम समूह पेयजल योजना:-** योजना का कार्य में 0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है।
2. योजना से आच्छादित 44 ग्रामों के सापेक्ष 44 ग्रामों में टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 8 ग्रामों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है।
3. प्रस्तावित 17456 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 13989 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 97.7 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश-

1. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 44 ग्रामों में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था / पी0एम0सी0 / अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

5. **कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना:-** योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 86 प्रतिशत है। योजना अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने कार्य कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर के क्षेत्रान्तर्गत आ जाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने के कारण कार्य बाधित है।

निर्देश-

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से योजना की अनापत्ति प्रमाणपत्र शीघ्र प्राप्त करते हुए शेष कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

6. **गुरमुरा ग्राम समूह पेयजल योजना:-** योजना का कार्य में 0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है।
2. योजना से आच्छादित 2 ग्रामों के 27 टोलों के टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 14 टोलों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है।
3. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्तावित 4218 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 4218 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

5. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 19 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश-

1. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 02 ग्रामों के शतप्रतिशत गृह संयोजनो में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

7. पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना:-योजना का कार्य में 0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है।
2. योजना से आच्छादित 2 ग्रामों के 14 टोलों के टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 8 टोलों में निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है।
3. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्तावित 2141 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 2141 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 19 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश-

1. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 02 ग्रामों के शतप्रतिशत गृह संयोजनो में 20.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

8. अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना:-योजना का कार्य में 0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत जलापूर्ति कनहर बांध से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कनहर बांध का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध में जल भराव का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। सितम्बर 2023 तक बांध 251 मी0 तक जल स्तर पहुंच जायेगा, जिसके उपरान्त वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से योजना का कमीशनिंग कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। वर्तमान में कनहर बांध का जल स्तर 250 मी0 है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है -

भौतिक प्रगति -

1. योजना अन्तर्गत प्रस्तावित इंटेक वेल एवं डब्लु0टी0पी0 का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।
2. फिल्टर हाउस में पाइप फिटिंग एवं प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है।
3. योजना में प्रस्तावित 3 नग सी0डब्लु0आर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. योजना में प्रस्तावित 7 नग ओ0एच0टी0 में से 6 नग ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1 नग मूर्ता ओ0एच0टी0 के टॉप डोम का कार्य प्रगति पर है।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6. प्रस्तावित 12773 नग गृह संयोजन में से 7000 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष प्रगति पर है।

7. पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त हुई सड़को का मरम्मत कार्य 58 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश—

1. योजना के संचालन के दृष्टिगत फर्म द्वारा कनहर बांध से जल आहरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये दिनांक 15.10.2023 तक ट्रायल रन आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे योजना से अच्छादित समस्त ग्रामों में जलापूर्ति की जा सके।
2. योजनान्तर्गत प्रतिशत गृह संयोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये जिससे जल की उपलब्धता होने पर हर घर जल का प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा सके।
3. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

9. परासी बेलवादह ग्राम समूह पेयजल योजना:—योजना का कार्य में 0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है —

भौतिक प्रगति —

1. योजनान्तर्गत प्रस्तावित इंटेक वेल, डब्लु0टी0पी0, सी0डब्लु0आर0 एवं 12 नग ओ0एच0टी0 का निर्माण कार्य तथा समस्त पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. योजनान्तर्गत आटोमेशन (पी0एल0सी0 एवं स्काडा) एवं 4 पम्प हाउस को छोड़कर शेष इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिकल कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
3. योजना से अच्छादित होने वाले 35 ग्रामों के सापेक्ष 19 ग्रामों में 5 ओ0एच0टी0 के माध्यम से टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें से 14 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है एवं 5 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित 30825 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 19827 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. योजना में प्रस्तावित कुल 9 नग विद्युत संयोजनों में से 5 नग विद्युत संयोजन ग्रामीण सप्लाई से टैप करते हुए कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 73 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्देश—

1. योजनान्तर्गत शेष बचे हुए ओ.एच.टी. का निर्माण एवं पाइप लाइन की गैप क्लोजिंग तथा रोड़ क्रॉसिंग का कार्य आवश्यक मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुए माह अक्टूबर 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. योजनान्तर्गत अच्छादित होने वाले 35 ग्रामों के प्रतिशत गृह संयोजनों में 31.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
3. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

10. झीलो बीजापुर ग्राम समूह पेयजल योजना:—योजना का कार्य में 0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है —

भौतिक प्रगति —

1. योजनान्तर्गत इंटेक वेल का कार्य पूर्ण है तथा डब्लु0टी0पी0 परिसर में स्थित वाश वाटर टैंक एवं बाउंड्रीवाल को छोड़ कर समस्त संरचनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2. प्रस्तावित 13 नग सी0डब्लु0आर0 का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. प्रस्तावित 24 नग ओ0एच0टी0 में से 14 नग ओ0एच0टी0 का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है शेष 10 नग ओ0एच0टी0 में से 5 नग ओ0एच0टी0 के बॉल का कार्य एवं 5 नग ओ0एच0टी0 के बॉटम डोम का कार्य प्रगति पर है।
4. प्रस्तावित वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. प्रस्तावित 66224 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 37468 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 37 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
6. निर्मित 7 ओ0एच0टी0 एवं 8 सी0डब्लु0आर0 के टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त से संबंधित 30 ग्रामों में वितरण प्रणाली के टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

निर्देश—

1. योजना अन्तर्गत अवशेष संरचनाओं एवं पाइप लाईन का कार्य माह अक्टूबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये।
2. योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 171 ग्रामों के शतप्रतिशत गृह संयोजनों में 31.10.2023 तक नियमित जलापूर्ति करते हुए हर घर जल का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया जाये।
3. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों पर 20.10.2023 तक स्टैंड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

11. पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना:—योजना का कार्य में 0 एन0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है —

भौतिक प्रगति —

1. योजना अन्तर्गत इंटेक वेल का लगभग 24 प्रतिशत एवं डब्लु0टी0पी0 का 22 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
2. प्रस्तावित 15 नग सी0डब्लु0आर0 में से 10 नग सी0डब्लु0आर0 का कार्य प्रगति पर है जिसकी कुल भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत है। 4 नग सी0डब्लु0आर0, वाइल्ड लाइफ की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं होने के कारण एवं 1 नग सी0डब्लु0आर0 का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण, कार्य अनारम्भ है।
3. प्रस्तावित 55 नग ओ0एच0टी0 में से 16 नग ओ0एच0टी0 का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है तथा 6 नग वाइल्ड लाइफ की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं होने के कारण एवं 1 नग ओ0एच0टी0 का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण, कार्य बन्द है।
4. प्रस्तावित 3523 कि0मी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 2834 कि0मी0 पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. प्रस्तावित 121719 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 37296 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य 42 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा 23 प्रतिशत जे0एस0बी0 बिछाकर आवागमन योग्य बना दिया गया है।

निर्देश—

1. फर्म की कार्य प्रणाली एवं कार्य के प्रति रूची न लेने से योजना की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। इस क्रम में अधिशाली अभियन्ता जल निगम को योजना की वर्तमान स्थिति एवं कार्य की गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. योजना के संरचनाओं एवं पाइप लाइन के कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। फर्म द्वारा आवश्यक मैन पावर एवं मशीनरी बढ़ाते हुए युद्ध स्तर पर योजना का कार्य कराया जाये।

3. योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु क्षतिग्रस्त मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाकर इनका सत्यापन लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराया जाये।
4. योजनान्तर्गत किये जा रहे गृह संयोजन की प्रगति अत्यन्त धीमी है। फर्म द्वारा 1000 नग प्रति दिन गृह संयोजन का कार्य कराया जाये।
5. योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैण्ड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

12. केवथा ग्राम समूह पेयजल योजना:- अनुबन्ध में प्रस्तावित समस्त संरचनाओं एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर योजनान्तर्गत समस्त 12 नग ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 12 नग ग्रामों के सापेक्ष 9 नग ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3 नग ग्रामों में अवशेष गृह संयोजन का कार्य प्रगति पर है, शत प्रतिशत गृह संयोजन होने के उपरान्त हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य कराया जायेगा। योजनान्तर्गत आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनो पर 20.10.2023 तक स्टैण्ड पोस्ट के साथ-साथ उनके टैंक में कनेक्शन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

13. जलापूर्ति में आ रही बाधाएं

• विद्युत आपूर्ति-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पेयजल परियोजनाओं पर उपलब्ध विद्युत आपूर्ति की बाधाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया-

1. बेलाही ग्राम समूह पेयजलयोजना में प्रस्तावित 6 नग विद्युत संयोजनों में से 4 नग संयोजन डेडिकेटेड फिडर पर हैं जिनमें 18 से 20 घंटे तथा 2 संयोजन ग्रामीण सप्लाई से टैप किये गये हैं जिनपर 14 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है।
2. हर्षा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत समस्त विद्युत संयोजनों पर पर्याप्त वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति न होने के कारण योजना का संचालन बाधित है।
3. पनारी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत बैरपुर में किये गये संयोजन पर पर्याप्त वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति न होने के कारण योजना का संचालन बाधित है।
4. झीलो बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माणाधीन एच0टी0 लाइन एवं सब स्टेशन पर कार्य पूर्ण न होने से विद्युत आपूर्ति बाधित है।
5. पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में विद्युत संयोजनों हेतु वांछित संशोधित प्राक्कलन लम्बित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम, सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत विद्युत संयोजनों को ग्रामीण फीडरों से टैप होने के कारण विद्युत पारेषण के समय फाल्ट आने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो जा रही है। ग्रामीण पारेषण लाइनें अत्यधिक लम्बी होने के कारण फाल्ट खोजने एवं ठीक करने में अधिक समय लग जाता है। साथ ही कृषि के समय वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, वाराणसी से अनुमति प्राप्त कर जनपद में फीडरों को रोस्टिंग फ्री कराकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

निर्देश -उपरोक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. पेयजल परियोजनाओं के संचालन हेतु रोस्टिंग फ्री विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।
2. समस्त पेयजल परियोजनाओं के संचालन में ग्रामों के अन्तिम घरों तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में आ रही समस्याओं के चिन्हीकरण एवं उनके उचित समाधान के लिये गठित समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाय।

3. समस्त पेयजल परियोजनाओं के प्रबन्धकों को शीघ्र स्टेब्लाइजर की आपूर्ति प्राप्त कर स्थापित करने हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम, सोनभद्र को निर्देशित किया गया किव्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत किये गये विद्युत संयोजनों पर निर्बाध 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
5. अधिशासी अभियन्ता वि.वि.ख. पिपरी को पनारी ग्राम समूह पेयजलयोजना अन्तर्गतबैरपुर जोन में डेडिकेटेड फीडर के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. अधिशासी अभियन्ता वि.वि.ख. पिपरी को झीलो बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत संयोजनो पर विद्युत आपूर्ति हेतु पिपरी फीडर से एच0टी0 लाइन एवं सब स्टेशन का कार्य दिनांक 20.10.2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रावर्टसगंज को पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के विद्युत संयोजन हेतु संशोधित प्राक्कलन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु।

कार्यवाही (अधीक्षण अभियन्ता,पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम, सोनभद्र / कार्यदायी संस्था / पी0एम0सी0/अधिशासी अभियन्ता (वि0/यों), जल निगम (ग्रामीण)।

B- विभागीय अनापत्ति के लम्बित प्रकरण

उल्लेखनीय है कि जनपद सोनभद्र में जल जीवन मिशन अन्तर्गत कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित नहीं है।

1. प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर—

● कदरा योजना—पाइप लाइन के बिछान हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा वन्य जीव प्रस्ताव संख्या—WL/UP/Pipeline/413104/2023 दिनांक—04.01.2023 को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। प्रस्ताव पर विभिन्न शर्तों के अधीन एन0बी0डब्लु0एल0 की 74वी बैठक, दिनांक—29.08.2023 में अनुमोदन प्राप्त हो गया है। सुनक्षित वन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Pipeline/412799/2023 से दिनांक—01.01.2023 आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव दिनांक—29.09.2023 को एम0ओ0इ0एफ0सी0 मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रसित कर दिया गया है। पी0एम0सी0 सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वह मुख्यालय में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क में है जिससे इस प्रस्ताव पर स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था / पी0एम0सी0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

C-योजनाओं की लागत में विचलन

योजनान्तर्गत संरचनाओं के निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाते समय स्थलीय आवश्यकता के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। योजनाओं की लागत में विचलन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो निम्नानुसार है—

(घनराशि रू० करोड़ में)					
क्र०सं०	योजना का नाम	संशोधित डी0पी0आर० की स्वीकृत लागत	विचलन पश्चात पुनरीक्षित लागत	वृद्धि प्रतिशत में	टिप्पणी
1.	बेलाही ग्राम समूह पेयजल योजना	174.29	193.82	11.21	पाइप लाइन की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण।
2.	नगवां तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजना	162.84	176.46	8.36	पाइप लाइन की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण।
3.	हर्षा कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना	168.32	168.16	-0.09	—
4.	गुरमुरा पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना	165.80	172.52	4.05	कार्यस्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त रिटेनिंग वाल एवं अप्रोच रोड के निर्माण हेतु।
5.	अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना	157.80	156.47	-0.84	—

6.	परासी बेलवादह ग्राम समूह पेयजल योजना	209.56	229.39	9.46	कार्यस्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत अप्रोच रोड के निर्माण हेतु।
7.	केवधा ग्राम समूह पेयजल योजना	84.72	102.38	20.85	कार्यस्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त रिटेनिंग बाल, पाइप लाइन एवं अप्रोच रोड के निर्माण हेतु।

उल्लिखित योजनाओं के वित्तीय स्वीकृति हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पी0एम0सी0, अधिशासी अभियन्ता सोनमद्र, अधीक्षण अभियन्ता मीरजापुर, मुख्य अभियन्ता वाराणसी से अनुमोदनोपरान्त पी0पी0आर0बी0डी0 के स्तर पर परीक्षण/अनुमोदन हेतु लम्बित है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदनोपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

निर्देश –

1. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परियोजना हित में योजनाओं की लागत में विचलन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया कि विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर अनुमोदन हेतु पत्रावली जिलाधिकारी महोदय, सोनमद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
2. झीलो बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में कराये गये अतिरिक्त कार्य के संसोधित डी0पी0आर0 हेतु अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर एवं परियोजना प्रबन्धक, पी0एम0सी0, लखनऊ तथा फर्म की डिजाइन टीम को निर्देशित किया गया कि योजना के कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए जल जीवन मिशन की गाईड लाईन के अनुरूप संसोधित डिजाइन ड्राइंग एवं कार्य विचलन की संसोधित डी0पी0आर0 तैयार कराकर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0, लखनऊ/अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

D- आई0एस0ए0 के कार्यों की समीक्षा एवं उनके बीजको का भुगतान—

योजनाएं अपने जीवनकाल तक समुचित मात्रा में जलापूर्ति किये जाने एवं जनमानस में जल की गुणवत्ता, जनित बीमारियों तथा जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर जागरूक किये जाने हेतु जनपद में चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) द्वारा कराये गये कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है—

क्र. सं.	आई0एस0ए0 का नाम	आवंटित ग्राम पंचायत की संख्या	आवंटित क्लस्टर नं0	दिवार लेखन चिन्हि करण	ग्राम समा बैठक	आई0पी0 सी0 द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क	मासिक महिला बैठक	मासिक महिला-पुरुष बैठक	ग्राम पंचायत में प्रभातफेरी एवं हैडवास	क्रियाशील नल कनेक्शन	रिकार्ड रखने की ट्रेनिंग	वृहद ग्राम समा बैठक
1.	महक सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	1,2,3	6940	120	11940	720	720	720	—	120	720
2.	कंचन जनकल्याण समिति	120	4,5,6	6000	120	10580	720	720	720	6600	120	720
3.	युवक विवारा समिति	149	7,8,9,10	8320	149	20850	840	840	840	3167	149	894
4.	बाबा श्री गुरुबचन सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	11,12,13	6510	120	19000	720	720	720	18000	120	720
5.	समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान	120	14,15,16	6640	120	13759	720	720	720	4129	120	720
	कुल योग —	629			749	33138	5562	5562	5562		530	749

उपरोक्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसओ) द्वारा प्रथम फेज एवं द्वितीय फेजके पूर्ण कराये गये कार्यों के प्रस्तुत बीजकों की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्र०सं०	आईएसओ का नाम	फेज 1/2	धनराशि
1	कंचन जनकल्याण समिति	Planing & Mobilization Phase (3 Month)	529999.00
2	कंचन जनकल्याण समिति	Implementation Phase (6 Month)	5610000.00
3	बाबा श्री गुरुबचन सोशल वेलफेयर सोसायटी	Planing & Mobilization Phase (3 Month)	604998.00
4	बाबा श्री गुरुबचन सोशल वेलफेयर सोसायटी	Implementation Phase (6 Month)	5610000.00
5	समाज कल्याण एवं ग्रामोद्योग संस्थान	Implementation Phase (6 Month)	

निर्देश-

1. समस्त आईएसओ संस्थाएं अपने अनुबन्धानुसार द्वितीय चरण में शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर के प्रदर्शन हेतु वॉल राइटिंग के चयनित स्थानों की जीयो टैग लोकेशन एक्सेल में उपलब्ध कराये।
2. समस्त आईएसओ संस्थाएं अपने अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के मूल उद्देश्यों से ग्रामीण जनमानस को जागरूक करें।
3. आईएसओ संस्थाएं ग्राम पंचायतों में क्रियाशिल नल कनेक्शन की गुणवत्ता पूर्वक कार्यों के लिए कान्ट्रेक्टर फर्म एवं ग्रामीण जनमानस के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीणों को नल से पेयजल प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
4. आईएसओ संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जाये की किसी भी राजस्व ग्राम में पेयजल कनेक्शन हेतु कोई घर न छुटे, यदि कोई व्यक्ति पेयजल कनेक्शन हेतु इच्छुक न हो तो उसका ग्रामवार विवरण उपलब्ध कराये।
5. आईएसओ संस्थाएं ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स के सम्बन्ध में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को रिकार्ड किपिंग तथा पारदर्शितापूर्ण वित्तीय लेनदेन के रिकार्ड रखने का प्रशिक्षण देते हुए ग्रामीणों को शासन द्वारा निर्दिष्ट मासिक भुगतान देने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
6. आईएसओ संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों का सक्षम स्तर से स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।
7. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2252 दिनांक 01 अगस्त 2023 द्वारा उल्लेखित द्वितीय चरण के कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति करायी जाए तथा भुगतान हेतु पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये।
8. आईएसओ संस्थाएं अपने अनुबन्धानुसार करायी जा रही गतिविधियों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही (आईएसओ संस्था/पीएमसी/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

E- आईआईसी के कार्यों की समीक्षा

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आईआईसी के कार्यों हेतु चयनित एजेंसी मेसर्स स्वजन फाउन्डेशन द्वारा प्रथम फेज में उल्लिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है-

1. पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर के मुख्यालयों पर "फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन (FHTC), शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल-जनित बिमारियों से बचाव" हेतु जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
2. जनपद की समस्त राजस्व ग्राम पंचायतों में पाँच पेयजल स्रोतों की जाँच हेतु जागरूकता तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम से व्यवहार परिवर्तन कराना।
3. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों (यथा पंचायत भवन, प्राथमिक पाठशाला, आंगनबाड़ी, केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर) एवं ब्लाक/जनपद स्तर के मुख्यालयों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी वाल राइटिंग/ग्रेफिटी पेंटिंग।

निर्देश-

1. आईआईसी एजेंसी मेसर्स स्वजन फाउन्डेशन को गुणवत्तापूर्ण कार्य का क्रियान्वयन करते हुए वॉल राइटिंग तथा अन्य गतिविधियों की जीयो टैग फोटो की एलबम उपलब्ध कराने हेतु।

2. अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया की आई0ई0सी0 की गतिविधियों को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन कराते हुए गतिविधियों का सत्यापन सुनिश्चित करते हुए विवरण शासन के निर्देशानुसार पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
3. आई0ई0सी0 संस्था अपने अनुबन्धानुसार करायी जा रही गतिविधियों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही (आई0ई0सी0 संस्था/पी0एम0सी0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलधिकारी महोदय द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन को दिशा निर्देशों के अनुरूपप्रस्तावित समस्तग्रामों के प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराने एवं ग्रामीणों को जागरूक करने के दृष्टिगत सम्बन्धित को निम्नलिखित निर्देश दिए गये—

समस्त परियोजना प्रबन्धक—

1. योजनान्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों में आवश्यक मात्रा में मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुए कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
2. योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों के प्रत्येक घर को गृह संयोजन से आच्छादित करते हुए नियमित जलापूर्ति कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
3. योजनान्तर्गत समस्त स्कूल, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्टैण्ड पोस्ट लगाते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
4. पाईप लाईन बिछाते समय क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाया जाए।
5. योजनान्तर्गत समस्त संरचनाओं पर बोर्ड, समस्त ओ0एच0टी0 पर जलापूर्ति की समय-सारणी एवं बिछाई गयी पाईप लाईन हेतु साइनेज स्टोन लगाना सुनिश्चित करें।

आई0ई0सी0/आई0एस0ए0 संस्था—

1. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन गुणवत्तापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें।
2. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का सत्यापन कार्य के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।
3. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक जनमानस को योजना के महत्व, जल के सही उपयोग एवं दूषित जल से होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूक करना सुनिश्चित करें।

विद्युत विभाग—

1. अधीक्षण अभियन्ता, वि0वि0ख0, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लि0, सोनमद्र पेयजल योजनाओं में विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण कराते हुए निर्बाध 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जल निगम—

1. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कान्ट्रैक्टर फर्म, आई0ई0सी0/आई0एस0ए0 संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों की मानिट्रिंग एवं सत्यापन कराया जाये।
2. मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना की धीमी प्रगति एवं कार्य की प्रति उदासीनता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया।
3. कान्ट्रैक्टर फर्म, आई0ई0सी0/आई0एस0ए0 संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाये। लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्राप्त न हाने पर बीजको से अनुबन्धानुसार समानुपातिक कटौती हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी
सोनमद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक- 4340 / A-7 / 82A दिनांक- 04/10/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
5. अपर जिलाधिकारी, नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
6. अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०ख०, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लि०, सोनभद्र।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
8. अधिशासी अभियन्ता (वि/यौ), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रौबर्ट्सगंज।
11. पी०एम०सी०/टी०पी०आई० सोनभद्र।
12. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
13. समस्त आई०एस०ए०/आई०ई०सी० सोनभद्र।

o/c
जिलाधिकारी
सोनभद्र।